न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 49/2017

1. श्रीमति सन्तरो धर्मपत्नि धर्मपाल जाति जाट आयु करीब 72 साल निवासी चक 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **वादीया**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– – **प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री भीमसैन मेहरड़ा अधिवक्ता — वादीया
2. पैराकार राज

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 20.06.2017**

वादीया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दुरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीया का सही नाम सन्तरों है उसका भारत निर्वाचन आयोग से पहचान पत्र संख्या आर.जे. 01/006/081495 जारी किया हुआ है। तथा उसके परिवार का राशन कार्ड भी जारी किया हुआ है जो कि कार्ड संख्या 166 में भी उसका नाम सन्तरो ही दर्ज है राशन कार्ड की नकल शामिल है।

वादीया को घर पर प्यार से सावित्री भी कहा जाता है। इस कारण कृषि भूमि के रिकार्ड में उसका नाम सन्तरों उर्फ सावित्री भी दर्ज किया हुआ है। इस सम्बंध में निम्नलिखित कृषि भूमि की जमाबन्दीयों की नकले शामिल है। जिनमें उनका नाम सन्तरों उर्फ सावित्री दर्ज किया हुआ है।

1. चक 21 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/27 मुरब्बा नम्बर 2, 14, 23, 24, 26 की कुल 9.328 हैक्टर में से 3/5 हिस्सा दर्ज है।
2. चक 21 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66/27 की उक्त भूमि जरिये दस्तावेज दस्तबरदारी के प्राप्त हुई जिसकी नकल शामिल हाजा है।

वादीया के नाम से इसी चक 21 एम.एल. तहसील गंगानगर के खाता संख्या 61/60 मुरब्बा नम्बर 25, 26 की कुल 1.999 हैक्टर भूमि खातेदारी दर्ज है उक्त भूमि में वादीया का नाम सन्तरो ना दर्ज होकर सावित्री दर्ज किया हुआ है। जबकि उसके पति का नाम धर्मपाल होना सही अंकित है।

इस प्रकार समस्त रिकार्ड में नाम सन्तरो दर्ज होनें तथा सन्तरों उर्फ सावित्री होनें के सम्बंध में ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र तथा पटवारी हल्का के द्वारा जारी भूमि प्रमाण पत्र दिनांक 14.06.2016 जिसकी नकले शामिल है, से यह स्पष्ट है, कि वादीया का सही नाम सन्तरों ही है तथा उसको घर पर सावित्री पुकारनें के कारण सन्तरों उर्फ सावित्री भी कहा जाता है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चक 21 एम.एल. के खाता संख्या 61/60 मुरब्बा नम्बर 25–26 की कुल 1.999 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम सावित्री दर्ज होनें से उसको सुधार कार्य करवानें में बाधा पैदा हो रही है क्योंकि अन्य भूमि के रिकार्ड में उसका सही नाम सन्तरों ही दर्ज है। तथा घर पर सावित्री कहनें के कारण सन्तरों उर्फ सावित्री दर्ज किया हुआ है। अतः चक 21 एम.एल. के खाता संख्या 61/60 की उक्त भूमि को वादीया के लिये अपनी खातेदारी भूमि होनें यानि सन्तरों की खातेदारी होनें वव घर पर सावित्री कहनें से सन्तरों उर्फ सावित्री की खातेदारी होनें की घोषणा करवाना तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करवाकर सावित्री से पूर्व सन्तरों उर्फ दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है जिससे कि वह भूमि में सुधार कार्य करवा सके तथ भविष्य में मुन्तकिल आदि करनें पर भी उसको कोई बाधा पैदा ना हो सके।

वादीया नें प्रतिवादी से बार बार आग्रह किया कि वह चक 21 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/60 मुरब्बा नम्बर 25–26 की कुल 1.999 हैक्टर भूमि का वादीया सन्तरों को खातेदार काश्तकार होना मानकर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए सावित्री से पूर्व सन्तरों उर्फ दर्ज करें मगर प्रतिवादी टाल मटोल करते हुए दिनांक 12.04.2017 को साफ इन्कारी करते हुए स्पष्ट कहा कि इस बारें में आप अदालत उपजिलाधीश से ही आदेश लानें पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा सकेगा।

अतः वाद वादीया बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. डिक्री घोषणा व दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि चक 21 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/60 मुरब्बा नम्बर 25, 26 की कुल 1.990 हैक्टर कृषि भूमि की वादीया सन्तरों खातेदार काश्तकार हकदार है तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जाकर सावित्री के आगे सन्तरों उर्फ दर्ज किया जानें का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो कि वादीया के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पैरोकार राज/नायब तहसीलदार चूनावढ़ द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद में नाम संशोधन हेतु वाद वादीया स्वंय साबित करें।

वादीया द्वारा अपनें वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्य सरंपच ग्राम पंचायत लाधुवाला का प्रमाण पत्र पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि सन्तरों उर्फ सावित्री पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी चक 21 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की निवासी है ये दोनों नाम एक ही महिला के हे इनको मै व्यक्तिगत रूप से जानता व पहचानता हूँ।

वादीया के परिवार में अनिता चौधरी पत्नी राजपाल, कर्णवीर, अभिमन्यु पिसरान राजपाल सरोज, राजकुमारी पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी 21 एम तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि हमारी माता, दादी सास के नाम सावित्री उर्फ सन्तरों किया जाता है जो हमें कोई एतराज नहीं है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्ता नें अपनें वादपत्र को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादीया पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत चक 21 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 61/60 मुरब्बा नम्बर 25, 26 की कुल 1.990 हैक्टर कृषि भूमि की वादीया सन्तरों खातेदार काश्तकार हकदार है तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती की जाकर सावित्री के आगे सन्तरों उर्फ दर्ज किया जानें का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 20.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लाधुवाला के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर